संख्या-18/1763/53-2014-2(14)/14

प्रेषक,

एस0 राजलिंगम,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
मैनपुरी, आगरा, झांसी, जालौन (उरई), हमीरपुर, बांदा, लखनऊ, लखीमपुरखीरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजंहापुर, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, गोण्डा एवं बहराइच।

दुग्ध विकास अनुभाग लखनऊ: दिनांक-23 सितम्बर, 2014

विषय-वित्तीय वर्ष 2014-15 में दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश कार्यक्रम एवं वित्तीय स्वीकृति (जिला योजना-एस0सी0पी0) अनुदान सं0-83।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्ध आयुक्त के पत्रांक-277/दुग्ध-8/नियो0/तक0निवेश-एससीपी(154)/2014-15, दिनांक-26.08.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में दुग्ध विकास विभाग के अन्तर्गत स्थापित संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के जनपदों में सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादक/सदस्यों को दुग्ध विकास कार्यक्रम के माध्यम से लाभान्वित कराने, इनकी आर्थिक स्थिति में उत्थान करने के लिए तकनीकी निवेश योजना चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः श्री राज्यपाल महोदय दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में सन्दर्भित योजना हेतु रू0 110.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 55.00 लाख (रू0 पचपन लाख मात्र) **संलग्नक-क** के अनुसार सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के निर्वतन पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) यह धनराशि अनुसूचित जाति लाभार्थियों के लिए एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 मानक के अनुरूप व्यय की जायेगी।

(2) यह धनराशि वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में चालू योजना के अधीन अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों के लिए अनुदान व्यय हेतु है।

(3) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम

http://shasanadesh.up.nic.in

अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(4) उक्त धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी। अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिये सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।

(5) एतदद्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग मात्र अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से गठित/पुर्नगठित समितियों पर ही किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो, सम्बन्धित दुग्ध संघ/समितियां अपने संसाधन से वहन करेंगे।

(7) इस योजना में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लघु सीमान्त कृषकों को लाभान्वित कराते हुए पशु प्रजनन कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं प्रचार-प्रसार कार्यक्रम संचालित किये जायेगे।

(8) दवाओं आदि का क्रय निर्धारित प्रक्रिया व मानकों के अनुसार ही किया जायेगा।

(9) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जाति के उपयोगिता के लिए निर्धारित मानकों/दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र दुग्ध आयुक्त को यथा समय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का होगा।

(11) यह भी शर्त है कि एतदद्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे-बही खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघो के लेखे एवं बही खाते भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखा परीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

(12) प्रश्नगत धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा और धनराशि किसी भी स्तर पर बैंक खाते/पी0एल0ए0/डाक घर में नहीं रखी जायेगी।

2- उर्पयुक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखा शीर्षक-**'2404-डेरी विकास-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश सुविधा (जिला योजना)-27-सब्सिडी''** के नामे डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-बी-1-2475/दस-2014-231/2014, दिनांक-22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 राजलिंगम)
विशेष सचिव।

संख्या-1763(1)/53-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महा लेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
7- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
8- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।
9- सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
10- सम्बन्धित क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास उ0प्र0।
11- सम्बन्धित इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0।
12- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
13- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
14- सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0।
15- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी।
16- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण कान्त शुक्ल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in